



# राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

## NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर -335702 :: जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई -दिल्ली 110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./13-4/उद्यान/2020-21/

दिनांक: 22.02.2021

### अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) में स्थित पौधशाला में नॉबू प्रजाति के पौधे वर्ष 2021-22 में 15,000 पौधे तथा वर्ष 2022-23 में 20,000 के लगभग नॉबू प्रजाति के पौधे को ठेके पर तैयार करवाने हेतु सीलबन्द निविदायें श्रीमान् निदेशक महोदय, केन्द्रीय राज्य फार्म - जैतसर, जिला श्रीगंगानगर(राज.) के नाम से दिनांक **04.03.2021** को दोपहर 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन दोपहर बाद 2.30 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक **04.03.2021** के दोपहर 12:45 तक किया जाएगा। निविदा में भाग लेने के लिए रुपये 20,000/- (रु बीस हजार मात्र) फार्म के बैंक खाते में ऑनलाईन जमा करवाकर अथवा बैंक डिमाण्ड-ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या- 33963396672) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की राशि उनके खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्तें किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) पर भी देखी जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र कृषि कार्यालय से प्राप्त करने के लिए रुपये 236 (200 Tander fee +18 % GST) का डिमाण्ड-ड्राफ्ट, RTGS/NEFT के माध्यम से फार्म के बैंक खाते में जमा की रसीद प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ पन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक की कॉपी की फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

प्रबन्धक (उत्पादन)  
कृते निदेशक



# राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम—मिनिरत्न कम्पनी)

## NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर -335702 :: जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई -दिल्ली 110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./13-4/उद्यान/2020-21/

दिनांक: 22.02.2021

### निविदा प्रपत्र

क्र. सं.		दर प्रति पौधा रू. में
1	<p><u>नीबू वर्गीय पौधों को तैयार करने के लिए कार्यों का विवरण :-</u></p> <p>वर्ष-2021-22 में 15000 व वर्ष-2022-23 में 20000 नीबू वर्गीय पौधे तैयार करने होंगे। वर्ष-2021-22 के लिये स्वयं की जट्टी खट्टी लगभग 25000 नग पौधे फार्म की नर्सरी पर ला कर लगाना होगा। बडिंग, डिसबडिंग, निराई गुड़ाई, सिंचाई, स्प्रे, ईत्यादि करके पौधा 9 इंच से 1 फीट तक की उचाई तक तैयार करके देना। बोली की दर प्रति पौधा देना होगा।</p>	<p>अंकों में रू0.....</p> <p>शब्दों में रू0.....</p>
2	<p><u>नीबू वर्गीय पौधों को तैयार करने के लिए कार्यों का विवरण :-</u></p> <p>वर्ष-2022-23 के लिये स्वयं की लगभग 35000 जट्टी खट्टी लगभग पौधे फार्म की नर्सरी पर माह मार्च 2021 एवं मार्च वर्ष-2022 जट्टी खट्टी पौधे को जमीन/पोलीथीन में बदलना होगा। बडिंग, डिसबडिंग, निराई गुड़ाई, सिंचाई, स्प्रे, ईत्यादि करके पौधा 9 इंच से 1 फीट तक की उचाई तक करके तैयार करके देना। बोली की दर प्रति पौधा देना होगा।</p>	<p>अंकों में रू0.....</p> <p>शब्दों में रू0.....</p>

दिनांक:-

हस्ताक्षर निविदा दाता.....

नाम व पूरा पता .....

.....

.....

## केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर

### वर्ष 2021-22 एवम 2022-23 में नर्सरी कार्य हेतु नियम व शर्तें

1. वर्ष 2021-22 में 15000 व वर्ष 2022-23 में 20000 नीबू वर्गीय पौधे तैयार करने होंगे। वर्ष 2021-22 के लिये स्वयं की जट्टी खट्टी लगभग 25000 नग पौधे फार्म की नर्सरी पर ला कर लगाना होगा तथा वर्ष 2022-23 के लिये लगभग 35000 जट्टी खट्टी पौधे फार्म की नर्सरी पर माह मार्च 2021 एवं मार्च एवं वर्ष-2022 जट्टी खट्टी पौधे को जमीन/पोलीथिन में बदलना होगा। बडिंग, डिसबडिंग, निराई गुड़ाई, सिंचाई, स्प्रे, ईत्यादि करके पौधा 9 इंच से 1 फीट तक की उचाई तक करके तैयार करके देना। बोली की दर प्रति पौधा देना होगा।
2. प्रस्तावित पौधों के उत्पादन हेतु फार्म द्वारा निमित्त पौधशाला में प्रसारण सिंचाई के लिए आवश्यक उपलब्ध पानी (उपलब्धता के आधार पर) की व्यवस्था आदि फार्म द्वारा करायी जायेगी।
3. पौधे प्रसारण हेतु आवश्यक साधन सामग्री जैसे पॉलीथिन बैग, पॉलीथिन सीट, खाद, बीज, कीटनाशक आदि फार्म द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे।
4. ठेकेदार को फार्म के निर्देशानुसार फार्म के पौधों से/अन्यत्र से बड-स्टिक, रोगमुक्त, खुद काटकर लानी होगी। बड बाँधने के लिए पॉलीथिन फार्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
5. बडिंग नीबू वर्गीय 60 प्रतिशत कम से कम होनी चाहिए।
6. बिक्री योग्य तैयार पौधों की गिनती यूनियन प्वाइंट से कम से कम 9 इंच से 1.0 फीट के आकार पर की जायेगी।
7. आवश्यकतानुसार नर्सरी में किये जाने वाले सभी कार्य जैसे बडिंग, डिसबडिंग, डिहेडिंग, निराई, गुड़ाई ( कम से कम आठ बार करेगा ) सिंचाई स्प्रे आदि समय-समय पर ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
8. खट्टी पर बडिंग का कार्य सितम्बर से 15 नवम्बर तक अवश्य रूप से पूरा करना होगा यदि यह कार्य 15 नवम्बर तक पूरा नहीं किया जा सका तो इसे फरवरी एवं मार्च में भी पूरा किया जा सकता है।
9. किसी प्राकृतिक नुकसान के लिए ठेकेदार खुद जिम्मेवार होगा। फार्म उन्हीं पौधों का भुगतान करेगा, जो अंतिम गिनती के समय भौतिक रूप से उपलब्ध होंगे। इस कार्य हेतु जो भी अग्रिम भुगतान किया जायेगा, उसे अंतिम रूप से समायोजित किया जायेगा।
10. पौधे की गिनती मार्च-2022/मार्च-2023, अक्टूबर-2022 व अक्टूबर -2023 वर्ष 2021-22 के लिए ठेकेदार स्वयं की जट्टी खट्टी लाएगा, वर्ष 2022-23 के लिये भी जट्टी खट्टी पौधे लायेगा। जिसकी देखरेख ठेकेदार को करनी होगी।
11. पौधों की बडिंग से पहले फार्म की जमीन पर बड लायक रुट स्टॉक (जट्टी खट्टी) तैयार करने पर 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान कर दिया जायेगा तथा 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान पौधों में कम से कम 9 इंच से एक फुट फुटाव आने पर अंतिम गिनती करके कर दिया जायेगा, गिनती केवल जीवित कलमी/बडड पौधों की जायेगी, वर्ष 2022-23 में पौधों की अंतिम गिनती के बाद किया जाएगा। बिल का भुगतान बैंक द्वारा किया जायेगा। भुगतान से पूर्व पेन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
12. यदि प्राकृतिक प्रकोप से कोई नुकसान होता है तो इसके लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. ठेकेदार को निविदा देते समय रू० 20,000/ धरोहर राशि फार्म खाते में ऑनलाईन जमाकर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या - 33963396672), जमा/संलग्न करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदा दाता की धरोहर राशि बोली समाप्त होने के बाद उनके खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी।
14. कार्य आदेश मिलने के 15 दिन के अन्दर एक सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
15. तैयार करने वाले पौधों की संख्या घटायी या बढ़ाई जा सकती है जिसके बारे में समय से सूचित कर दिया जायेगा।
16. निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत या निरस्त कर सकते हैं।
17. ठेकेदार फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा। यदि ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा फार्म सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को ही करनी होगी।
18. पौधों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी ठेकेदार की होगी।
19. यदि ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़कर जाता है तो यह कार्य अन्य किसी से करवा लिया जायेगा। इस कार्य को करवाने में अगर फार्म को कोई हानि होती है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी। साथ ही धरोहर राशि जब्त व किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. यदि किसी भी प्रकार का टैक्स लगता है तो वह ठेकेदार वहन करेगा।
21. ARBITRATION

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and

both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall be in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.

22. आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन के उपरांत भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बंधित होगा।
23. उपरोक्त शर्तों को सुन समझ कर व पढकर बताया गया जो मुझे पूर्णतयः स्वीकार है।

हस्ताक्षर ठेकेदार